# राजस्थान सरकार
## बाल अधिकारिता विभाग

20/198, कावेरी पथ, सैक्टर–2, मानसरोवर, जयपुर।

क्रमांकः एफ24(3)(15)बाअवि/कारा/दत्तक ग्रहण/पत्र परिपत्र/15/48354-450 जयपुर दिनांकः 16.12.16

**अधीक्षक,**
समस्त राजकीय बाल देखरेख संस्थान,
(राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह/
राजकीय बालिका गृह/राजकीय शिशु गृह)
.....।

**अध्यक्ष/सचिव/प्रभारी,**
समस्त बाल देखरेख संस्थान,
(गैर राजकीय बाल गृह/बालिका गृह/शिशु गृह/
ओपन शेल्टर, विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी)
.....।

विषयः– **बाल देखरेख संस्थाओं में आवासरत बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने एवं उनके जन्म और पहचान संबंधी दस्तावेज तैयार करवाने के संबंध में।**

भारत सरकार द्वारा 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखेरख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 लागू किए गए है।

अधिनियम के अन्तर्गत विधि से संघर्षरत बच्चों और देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों, जिनमें अनाथ, उपेक्षित, परित्यक्त इत्यादि श्रेणी के बच्चे सम्मिलित है, कि देखरेख, संरक्षण और पुनर्वास के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वयं के स्तर एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से बाल देखरेख संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। इन सभी बाल देखरेख संस्थाओं का अधिनियम की धारा 41 के अन्तर्गत पंजीयन किया गया है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 53(1) के अन्तर्गत बच्चे के पुनर्वास एवं पुनः मिलाने की प्रक्रिया के तहत् पंजीकृत **बाल देखेरख संस्थान में आवासरत बच्चों को निम्न प्रमुख सुविधाएं उपलब्ध कराना बाल देखेरख संस्थाओं की जिम्मेदारी निर्धारित की गई हैः–**

1. बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षा, जिसके अन्तर्गत अनुपूरक शिक्षा, विशेष शिक्षा एवं समुचित शिक्षा भी सम्मिलित है। 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुरूप शिक्षा उपलब्ध कराई जानी है।
2. बच्चों का जन्म प्रमाण–पत्र तैयार करवाना।

3. बच्चों के पहचान संबंधी दस्तावेजों के निर्माण में सहयोग करना।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के नियम 36 के तहत् प्रत्येक बाल देखरेख संस्थान में आवासरत बच्चों को उनकी आयु या सामर्थ्य के अनुसार शिक्षा उपलब्ध कराई जायेगी, जिसमें विद्यालय, ब्रिज विद्यालय, मुक्त विद्यालय, अनौपचारिक शिक्षा तथा आवश्यकतानुसार विशेष शिक्षकों से शिक्षा उपलब्ध कराना भी शामिल हैं। साथ ही विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए अतिरिक्त शिक्षण सेवा का भी प्रावधान किया गया है। संस्थान प्रबंधन की यह भी जिम्मेदारी तय की गई है कि वे बच्चों का शिक्षा से नियमित जुडाव एवं उनका ठहराव सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा लागू निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 14 (1) एवं राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 12 में विद्यालयों में प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेंजों का उल्लेख किया गया है, परन्तु अधिनियम की धारा 14 (2) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है, कि किसी भी बच्चों को किसी आयु प्रमाण की अनुपलब्धता में प्रवेश से वर्जित नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रावधानों के अतिरिक्त स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश पत्र दिनांक 04.06.2012 के माध्यम से निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत निज़ी विद्यालयों में 25 फीसदी सीमा तक समाज के कमजोर वर्ग/असुविधाग्रस्त समूह के बच्चों के निजी विद्यालय में प्रवेश दिये जाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए है।

उक्त निर्देशों के तहत् राज्य सरकार से पंजीकृत केयर होम/अनाथ आश्रम (बाल देखरेख संस्थान) में आवासरत बच्चों को कमजोर वर्ग/असुविधाग्रस्त समूह के बच्चे मानते हुए उनके निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रवेश के लिए उम्र/पहचान संबंधी दस्तावेजों की आवश्यकता के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए है। (संबंधित पत्र की प्रति संलग्न है)

**उक्त परिप्रेक्ष्य में सभी राजकीय/गैर राजकीय बाल देखरेख संस्थाओं को निम्न दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं:–**

1. संस्थान में आवासरत बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियमित स्कूल शिक्षा से जोडा जावे। विद्यालय द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार शिक्षा सत्र के दौरान किसी भी समय बच्चों को उसकी शैक्षणिक स्थिति/आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है।
2. संस्थान प्रबंधन यह भी सुनिश्चित करें कि बच्चों का शिक्षा से नियमित जुडाव एवं विद्यालयों में उनका नियमित ठहराव बना रहें। विद्यालय से बच्चों के नियमित जुड़ाव की स्थिति में उनकी सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जावें।
3. ऐसे बच्चे, जिन्हें विशेष परिस्थितियों के कारण नियमित स्कूल शिक्षा से नहीं जोड़ा जा सकता हैं, को ब्रिज विद्यालय, मुक्त विद्यालय, अनौपचारिक शिक्षा से जोड़ा जावें। आवश्यकतानुसार बच्चों के लिए अतिरिक्त ट्यूशन क्लासेज/कोचिंग की व्यवस्था की जावें।

4. संस्थान में आवासरत बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए उपरोक्त वर्णित राज्य सरकार के प्रासंगिक आदेशानुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत 25 फीसदी सीमा अन्तर्गत शिक्षा उपलब्ध कराने के संबंध में भी कार्यवाही की जा सकती है।

5. यदि किसी राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालय द्वारा बच्चों के विद्यालय में प्रवेश हेतु आयु/पहचान संबंधी जानकारी मांगी जाती है, तो संस्थान प्रभारी द्वारा इस संबंध में आवश्यक शपथ–पत्र प्रस्तुत कर दिया जावे। इसके बावजूद विद्यालय प्रबंधन द्वारा बच्चों को विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो इस संबंध में लिखित शिकायत संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कलक्टर एवं विभाग को प्रस्तुत की जावे, ताकि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

6. संस्थान में आवासरत बच्चे, जिनके वर्तमान में जन्म अथवा पहचान संबंधी प्रमाण–पत्र (आधार कार्ड सहित) उपलब्ध नहीं हैं, या इस संबंध में सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद इसकी उपलब्धता की जानकारी नहीं है, वहां पर निर्धारित प्रक्रियानुसार बच्चों के जन्म अथवा पहचान संबंधी प्रमाण–पत्र तैयार कराये जावें।

7. बच्चों का जन्म प्रमाण–पत्र संबंधित स्थानीय निकाय/पंचायत के माध्यम से तैयार कराया जावे। इस संबंध में संस्थान प्रभारी द्वारा आवश्यक शपथ–पत्र प्रस्तुत कर दिया जावे।

8. यदि बच्चों के जन्म प्रमाण–पत्र/पहचान संबंधी दस्तावेज तैयार कराने में कठिनाई महसूस की जाती है, तो इस संबंध में संबंधित रजिस्ट्रार से सम्पर्क किया जावे। सन्तोषजनक कार्यवाही नहीं होने पर इस संबंध में लिखित शिकायत संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई एवं विभाग को प्रस्तुत की जावें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

अतः जिला बाल संरक्षण इकाई उक्त दिशा–निर्देशों की त्वरित पालना सुनिश्चित करावें। जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बाल देखरेख संस्थाओं को उक्त कार्यवाही में अपेक्षित सहयोग उपलब्ध कराया जावें। इकाई द्वारा उक्त दिशा–निर्देशों की 1 माह के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता को पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान करें।

आयुक्त एवं शासन विशिष्ठ सचिव

क्रमांकः एफ24(3)(15)बाअवि/कारा/दत्तक ग्रहण/पत्र परिपत्र/15/48451-53 जयपुर दिनांकः 16.12.16

**प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–**

1. उप निदेशक, केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली।
2. उप सचिव, राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. इण्ड़िया फाउण्डेशन चेरिटेबल ट्रस्ट, अलवर।

आयुक्त एवं शासन विशिष्ठ सचिव